RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

S.B. Criminal Misc. Petition No.2951/2017

संजय कुमार शर्मा एवं अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

आदेश दिनांक : **02** जून , **2017**

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता- याचीगण की ओर से
श्री जितेन्द्र श्रीमाली विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य

-

अधिवक्ता याचीगण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता याचीगण ने निवेदन किया है कि याचीगण व अयाची संख्या-2 परिवादिया के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद है, जिसे वे मध्यस्थता से निपटाना चाहते हैं। अत: पक्षकारान् के विवाद को मध्यस्थता केन्द्र को रेफर कर दिया जावे।

प्रार्थनानुसार पक्षकारान् के विवाद को मध्यस्थता केन्द्र को रेफर किया जाता है।

डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक सूचना/पत्रादि प्रभारी अधिकारी, मध्यस्थता केन्द्र, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर को इस निवेदन के साथ भिजवाये कि वे पक्षकारान् के विवाद को निपटाने हेतु मध्यस्थता की नियुक्ति एवं पक्षकारान् को तलब करने की कार्यवाही कर सके।

प्रकरण मध्यस्थता कार्यवाही के पश्चात पुन: न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(न्या**0** बनवारी लाल शर्मा **)**

अनिलशर्मा/-62